



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 437]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 30, 2019/माघ 10, 1940

No. 437]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 2019/MAGHA 10, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2019

का.आ. 550(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 133ग की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की का.आ. संख्यांक 771 (अ), 22 फरवरी, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना को उन बातों के सिवाय अधिकांश करके हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नोटिस को केन्द्रीयकृत रूप से जारी करने और सूचना या दस्तावेजों के प्रक्रमण तथा निर्धारण अधिकारी को प्रक्रमण के निष्कर्ष उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाता है, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीयकृत सत्यापन स्कीम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
- परिभाषाएं.**— (1) इस स्कीम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—
 - “अधिनियम” से अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;
 - “केंद्र” से नोटिस को केन्द्रीयकृत रूप से जारी करने और सूचना या दस्तावेजों के प्रक्रमण तथा निर्धारण अधिकारी को प्रक्रमण के निष्कर्ष उपलब्ध कराने के लिए स्थापित केन्द्रीयकृत सत्यापन केंद्र अभिप्रेत है;
 - “महानिदेशक” से अधिनियम की धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त और इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत आय-कर महानिदेशक अभिप्रेत है ;

- (घ) “प्रधान महानिदेशक” से आय-कर अधिनियम की धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त और इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रधान आय-कर महानिदेशक अभिप्रेत है ;
- (ङ) “अभिहित प्राधिकारी” से अधिनियम की धारा 133ग के प्रयोजनों के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत आय-कर प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (च) “पोर्टल” से एक स्कीम के प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया वेब पोर्टल अभिप्रेत है ।

(2) शब्द और पद, जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो उनका अधिनियम में है ।

3. लागू होना.—यह स्कीम ऐसी सूचना या दस्तावेजों पर लागू होगी जो, --

- (1) केंद्र के कब्जे में हैं ; या
- (2) जो केंद्र को, निम्नलिखित द्वारा अधिनियम की धारा 119 के अधीन बोर्ड द्वारा जारी आदेशों के अनुसार उपलब्ध कराई गई है --
- प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली);
 - आय-कर महानिदेशक (जोखिम निर्धारण);
 - आय-कर निदेशक (आसूचना और आपराधिक अन्वेषण);
 - विवरणियों के प्रक्रमण के लिए केंद्रीयकृत प्रक्रमण केंद्र का भारसाधक आय-कर आयुक्त;
 - स्रोत पर काटे गए आयकर के विवरण के प्रक्रमण के लिए केंद्रीयकृत प्रक्रमण सेल का भारसाधक आयुक्त;
 - कोई अन्य प्राधिकारी, निकाय या व्यक्ति ।

4. नोटिस जारी करना और तामील.—(1) केंद्र, किसी व्यक्ति को पैरा 3 में निर्दिष्ट सूचना या दस्तावेजों के सत्यापन के प्रयोजन के लिए सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने के लिए नोटिस जारी करेगा ।

(2) नोटिस अभिहित प्राधिकारी के डिजीटल हस्ताक्षर के अधीन जारी किया जाएगा ।

(3) नोटिस की तामील, इलैक्ट्रानिक मेल, या पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत अकाउंट में एक प्रति रखकर, जिसके उपरांत संक्षिप्त संवाद सेवा द्वारा संसूचित करके की जाएगी ।

(4) उप पैरा (1) के अधीन मांगी गई सूचना या दस्तावेज, नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत किए जाएंगे ।

5. नोटिस का प्रत्युत्तर.— (1) पैरा 4 के उपपैरा (1) के अधीन जारी नोटिस के प्रत्युत्तर, पैरा 8 में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं और प्रक्रमणों के अनुसार मशीन द्वारा पठनीय ढांचाकृत रूप विधान में किया जाएगा ।

6. सूचनाओं और दस्तावेजों का प्रक्रमण - (1) केंद्र, पैरा 8 में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं और प्रक्रमणों के अनुसार, पैरा 4 के उप-पैरा (1) के अधीन जारी किए गए नोटिस के प्रत्युत्तर में किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और दस्तावेजों का प्रक्रमण करेगा ।

(2) केंद्र, अधिनियम की धारा 119 के अधीन बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार, निर्धारण अधिकारी को उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट प्रक्रमण के निष्कर्ष उपलब्ध कराएगा ।

7. कोई वैयक्तिक उपस्थिति नहीं.—केंद्रीयकृत संसूचना केंद्र में कार्यवाहियों के संबंध में अभिहित प्राधिकारी के समक्ष, किसी व्यक्ति से वैयक्तिक रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं होगी ।

8. कार्यप्रणाली और प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करने की शक्ति.—प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) केंद्र के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर विनिर्दिष्ट निम्नलिखित प्रक्रियाएं और प्रक्रमण विनिर्दिष्ट करेगा, अर्थात् :-

- (क) नोटिस जारी करने के लिए रूप विधान और प्रक्रिया ;
- (ख) नोटिस के प्रत्युत्तर में पाने वाले से किसी सूचना या दस्तावेज की प्राप्ति ;

- (ग) किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर की अभिस्वीकृति जारी करने के लिए ढंग और रूप विधान ;
- (घ) वेब पोर्टल सुविधा, जिसके अंतर्गत लॉगिन सुविधा, सत्यापन स्थिति ट्रैकिंग, सुसंगत ब्यौरों का प्रदर्शन और डाउनलोड करने की सुविधा का उपबंध, सम्मिलित है ;
- (ङ) सूचना और प्रत्युत्तर जिसके अंतर्गत सत्यापन प्रक्रियाओं के दौरान प्रस्तुत किए गए दस्तावेज भी हैं, का निर्धारण, प्रक्रमण और सत्यापन
- (च) निर्धारण अधिकारी को सत्यापन के निष्कर्ष उपलब्ध कराने के लिए रूप विधान और डाटा संरचना ;
- (छ) शंकाओं का उत्तर देने के लिए और समर्थन सेवा देने, जिसके अंतर्गत निर्गामी कॉल और सूचना या स्पष्टीकरण की ईप्सा करने के लिए आने वाली कॉल भी हैं, के लिए कॉल सेंटर ;
- (ज) प्राप्ति, स्कैनिंग, डाटा प्रविष्टि, भंडारण और सूचना और दस्तावेजों की केंद्रीयकृत रीति में पुनः प्राप्ति ;
- (झ) केंद्र में शिकायत निवारण तंत्र।

[अधिसूचना सं. 5/2019/फा. सं. 370142/22/2017-टीपीएल]

सलिल मिश्रा, निदेशक (कर नीति और विधान)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2019

S.O. 550(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 133C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, (Central Board of Direct Taxes), published in the Official Gazette *vide* number S.O. 771(E), dated the 22nd February 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following scheme for centralised issuance of notice and for processing of information or documents and making available the outcome of the processing to the Assessing Officer, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) This scheme may be called the Centralised Verification Scheme, 2019.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In this scheme, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);
- (b) “Centre” means the Centralised Verification Centre set up for centralised issuance of notice and for processing of information or documents and making available the outcome of the processing to the Assessing Officer;
- (c) “Director General” means the Director General of Income-tax appointed under sub-section (1) of section 117 of the Act and authorised by the Board in this behalf;
- (d) “Principal Director General” means the Principal Director General of Income-tax appointed under sub-section (1) of section 117 of the Act and authorised by the Board in this behalf;
- (e) “Designated Authority” means the income-tax authority authorised by the Board for the purposes of section 133C of the Act;

(f) “portal” means the web portal used for the purposes of this scheme.

(2) The words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Application.—This scheme shall be applicable to any information or documents, —

(1) in possession of the Centre; or

(2) made available to the Centre, by —

(i) the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems);

(ii) the Director General of Income-tax (Risk Assessment);

(iii) the Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation);

(iv) the Commissioner of Income-tax in charge of the Centralised Processing Centre for processing of returns;

(v) the Commissioner of Income-tax in charge of the Centralised Processing Cell for processing of statements of tax deducted at source; or

(vi) any other authority, body or person,

in accordance with the orders issued by the Board under section 119 of the Act.

4. Issue and service of notice.—(1) The Centre may issue a notice to any person requiring him to furnish information or documents for the purposes of verification of the information or documents referred to in paragraph 3.

(2) The notice shall be issued under digital signature of the Designated Authority.

(3) The notice shall be served by delivering a copy by electronic mail or by placing a copy in the registered account on the portal followed by an intimation by Short Message Service.

(4) The information or documents called for under sub-paragraph (1) shall be furnished on or before the date specified in the notice.

5. Response to notice.—The response to the notice issued under sub-paragraph (1) of paragraph 4 shall be furnished in a machine readable format, in accordance with the procedures and processes referred to in paragraph 8.

6. Processing of information and documents.—(1) The Centre shall process the information or documents furnished by the person in response to the notice issued under sub-paragraph (1) of paragraph 4, in accordance with the procedures and processes referred to in paragraph 8.

(2) The Centre shall make available the outcome of the processing referred to in sub-paragraph (1) to the Assessing Officer, in accordance with the orders issued by the Board under section 119 of the Act.

7. No personal appearance.—No person shall be required to appear personally or through authorised representative before the Designated Authority at the Centre in connection with any proceedings.

8. Power to specify procedure and processes.—The Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems) shall specify from time to time, procedures and processes in regard to the following matters, for effective functioning of the Centre, namely:-

(a) format and procedure for issuance of the notice;

(b) receipt of any information or document from the person in response to the notice;

(c) mode and formats for issue of acknowledgment of the response furnished by the person;

- (d) provision of web portal facility including login facility, tracking status of verification, display of relevant details, and facility of download;
- (e) accessing, processing and verification of information and response including documents submitted during the verification process;
- (f) format and data structure for making available the outcome of verification to the Assessing Officer;
- (g) call centre to answer queries and provide support services, including outbound calls and inbound calls seeking information or clarification;
- (h) receipt, scanning, data entry, storage and retrieval of information or documents in a centralised manner;
- (i) grievance redressal mechanism in the Centre.

[Notification No. 5/2019/F. No. 370142/22/2017-TPL]

SALIL MISHRA, Director (Tax Policy and Legislation)